ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग
(C. DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT)

1. विज्ञान और टैक्नालोजी में हो रहे विकास का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी देना, मूल्यांकन करना और सलाह देना।

2. रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं तथा अंतः सेना संगठनों को हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, फौजी कार्रवाइयों, निगरानी, सहायता और सैन्यतंत्र (लाजिस्टिक), संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में सभी वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में सलाह देना।

3. ऐसी प्रौद्योगिकी के अर्जन के बारे में, जिनका भारत में निर्यात विदेशी सरकारों के नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, संबंधित विदेशी सरकारों के साथ करार लिखितों के संबंध में सभी विषयों पर रक्षा मंत्रालय के नोडल समन्वय अभिकरण के रूप में, विदेश मंत्रालय की सहमति से कृत्य करना।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा से सुसंगत क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और डिजाइन, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन के कार्यक्रम तैयार करना और उनका निष्पादन करना।

5. विभाग के अभिकरणों, प्रयोगशालाओं, स्थापनों, रेजों, प्रसुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।

6. वैमानिकी विकास अभिकरण।

7. सैनिक विमानों, उनके उपकरण और यान सामग्रियों की उड़ान अनुकूलता डिजाइन के प्रमाणीकरण से संबंधित सभी विषय।

8. विभाग की कार्यवाहियों से सृजित तकनीक के परीक्षण और अंतरण से संबंधित सभी विषय।

9. रक्षा मंत्रालय द्वारा अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित सभी हथियार प्रणालियों और संबंधित तकनीकों के अर्जन और मूल्यांकन कार्रवाइयों का वैज्ञानिक विश्लेषण, समर्थन तथा उनमें भाग लेना।

10. सशस्त्र सेवाओं के लिए उपकरण और सामग्रियों का विनिर्माण कर रहे या विनिर्माण करने की प्रस्थापना कर रहे उत्पादन एककों और उपक्रमों द्वारा तकनीक के आयात के तकनीकी और बौद्धिक ज्ञान गुणधर्म के पहलुओं के बारे में सलाह देना।

11. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अधीन किए गए संदर्भ का निपटारा।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलुओं की बाबत अध्ययन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और निगमित निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता।

13. राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विदेश मंत्रालय के परामर्श से, सभी विषय जिसमें निम्नलिखित भी हैं:

    (क) अन्य देशों के अनुसंधान संगठनों, और अंतर-सरकारी अभिकरणों, विशेष रूप से उनसे संबंधित, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं से संबंधित हैं, संबंधों की बाबत विषय;

ख) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकविदों को विदेशी छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विदेशों में विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्य-जन्य संस्थाओं या निगमित निकायों के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट के नामेखाते संकर्मों का निष्पादन और भूमि का क्रय।

15. विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्मिकों संबंधी सभी विषय।

16. विभाग के बजट के नामेखाते सभी प्रकार की सामग्रियों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां।

18. भारत सरकार के किसी अन्य ऐसे मंत्रालय, विभाग, अभिकरण के साथ, जिनके कार्यों का राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर प्रभाव है, करारों या व्यवस्थाओं के माध्यम से विभाग को सौंपे गए और विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई अन्य कार्य।